रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272517
CG-DL-E-13052026-272517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948
No. 318] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी./140.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 5 में, -

(i) उप-विनियम (1) के खंड (ख) में, अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (1) के खंड (ग) में अंत में आने वाले "।" चिह्न के स्थान पर "**;** और" चिह्न और शब्द रखा जाएगा।

(iii) उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) नामनिर्देशिती निदेशक।"

(iv) उप-विनियम (1) के परन्तुक में, "न्यूनतम सात निदेशक" शब्दों के पश्चात् "नामनिर्देशिती निदेशक को छोड़कर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(v) उप-विनियम (6) में,-

(क) खंड (छ) में अंत में आने वाले "।" चिह्न के स्थान पर ";" चिह्न रखा जाएगा;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ज) जो किसी ऐसे सांविधिक विनियामक का सदस्य नहीं है जिसने दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को प्रत्यायोजित या प्रोन्नत किया है, या जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में शेयर धारित करता है या उस पर नियंत्रण रखता है; और

(झ) जो किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का एक स्वतंत्र निदेशक नहीं है।"

(vi) उप-विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(9) उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट दूसरी कार्यावधि, शासी बोर्ड द्वारा प्रथम कार्यावधि के संतोषप्रद कार्यनिष्पादन के पुनर्विलोकन और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी।"

(vii) उप-विनियम (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(15) बोर्ड एक व्यष्टि को किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के शासी बोर्ड में नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में नामनिर्देशित करेगा और ऐसे नामनिर्देशिती निदेशक की वही हैसियत, अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व होंगे जैसे कि शासी बोर्ड के अन्य निदेशकों के हैं।"

3. मूल विनियमों के विनियम 5क में, उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6क) उप-विनियम (6) के अधीन प्रबंध निदेशक की नियुक्ति या उसकी नियुक्ति के नवीकरण के लिए बोर्ड का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, कोई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, बोर्ड को विद्यमान प्रबंध निदेशक की कार्यावधि की समाप्ति से कम से कम एक मास पूर्व कम से कम दो नाम अग्रेषित करेगी।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./88/2026-27]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 78, तारीख 29 जनवरी, 2025 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.117, तारीख 28 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG/140.— In exercise of the powers conferred by sections 196,203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 5,

(i) in sub-regulation (1), in clause (b), the word "and" occurring at the end, shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (1), in clause (c), for the punctuation mark ":" occurring at the end, the words and punctuation mark "; and" shall be substituted;

(iii) in sub-regulation (1), after clause (c) the following clause shall be inserted, namely:-

"(d) nominee director.";

(iv) in the proviso to sub-regulation (1), after the words "minimum seven directors", the words "excluding the nominee director" shall be inserted;

(v) in sub-regulation (6),

(a) in clause (g), for the punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted;

(b) after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: —

"(h) who is not a member of any statutory regulator that has sponsored or promoted the insolvency professional agency, or that directly or indirectly holds shareholding in, or exercises control over, such insolvency professional agency; and

(i) who is not an independent director of any other insolvency professional agency."

(vi) for sub-regulation (9), the following shall be substituted namely: -

"(9) The second term referred to in sub-regulation (8) shall be subject to a satisfactory performance review of the first term by the Governing Board and prior approval of the Board.";

(vii) after sub-regulation (14), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(15) The Board shall nominate one individual as its nominee director on the Governing Board of an insolvency professional agency, and such nominee director shall have the same status, rights, duties, powers and responsibilities as other directors of the governing board."

3. In the principal regulations, in regulation 5A, after sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(6A) For the purpose of obtaining prior approval of the Board under sub-regulation (6) for appointment or renewal of appointment of the managing director, an insolvency professional agency shall forward not less than two names to the Board, at least one month prior to the expiry of the tenure of the existing managing director."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./88/2026-27]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Sec.4, vide No. 421, dated 22nd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2025 published vide Notification No. IBBI/2024-25/GN/REG117 dated 28th January 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 78 on 29th January 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA